



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

**Office Order No. 2 of 2024**

**Sub.: Routing of the proposals relating to HRMS through the nodal Officer for HRMS i.e. AM/HR.**

It has been decided that all the matters related to HRMS should be routed through the nodal officer for HRMS i.e. AM/HR, Railway Board.

2. CRIS will not deal with any HRMS related matters received directly from various Directorates of Railway Board.
3. The above issues with the approval of the competent authority.

No. 2024/O&M/2/1  
Dated: 19.01.2024

(T. Srinivas)  
Joint Secretary/Railway Board  
Tele No.- 011-47845551  
Email ID: t.srinivas1@gov.in

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti, New Delhi

Copy to:

AM/HR,  
GM/CRIS

Copy for information:-

EDPG/MR, EDPG/MOSR(D), EDPG/MOSR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 2


विषय: एचआरएमएस से संबंधित प्रस्तावों को एचआरएमएस के नोडल अधिकारी अर्थात अपर सदस्य/मानव संसाधन के माध्यम से भेजना।

यह निर्णय लिया गया है कि एचआरएमएस से संबंधित सभी मामलों को एचआरएमएस के नोडल अधिकारी अर्थात अपर सदस्य/मानव संसाधन, रेलवे बोर्ड के माध्यम से भेजा जाए।

- क्रिस द्वारा रेलवे बोर्ड के विभिन्न निदेशालयों से सीधे प्राप्त एचआरएमएस से संबंधित किसी भी मामले का निपटान नहीं किया जाएगा।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/2/1

दिनांक: 19.01.2024

  
(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 011-47845551

ईमेल: [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

अपर सदस्य/मानव संसाधन,  
महाप्रबंधक/क्रिस

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)।